उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक– 2270 /428(2021)/अधियाचन/2021–22 दिनांक 26. 10. 2021

विज्ञप्ति

रिट याचिका संख्या–10646/2021 ऑल इण्डिया कान्फेडरेशन ऑफ ब्लाइण्ड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2021 एवं 23.10.2021 द्वारा अध्यक्ष, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को बैठक कर शासनादेश दिनांक 13.01.2011 एवं चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम–8 तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.06.2017 के सम्बन्ध में Reconcile करने का आदेश दिया गया है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में दिनांक 26.10.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप विज्ञापन वर्ष–2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता की विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2021 के प्रस्तर–11(2) से उत्पन्न भ्रम के निवारण हेतु स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ चयन बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा है और Right of persons with Disabilites (RPD) नियमावली, 2017 के नियम–11 के अनुरूप दिव्यांगजन के लिये 04 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13.01.2011 द्वारा चिन्हांकित विषयों में दृष्टिहीन या कम दृष्टि के लिये 01 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

26-10-2021

(नवल किशोर)
उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।